निश्चल गुप्ता ***बनाम*** केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य
(आरएस मोंगिया, जे)

जहां केंद्र सरकार को हिरासत में लिए गए अभ्यावेदन को नजरअंदाज कर दिया गया है और चार महीने की अवधि के लिए अनदेखा छोड़ दिया गया है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 22 (5) का उल्लंघन होगा।

XXX XXX XXX

जहां बंदी ने 26 सितंबर, 1988 को केंद्र सरकार को एक अभ्यावेदन दिया और केंद्र सरकार द्वारा अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के निर्णय के बारे में अपीलकर्ता को 31 अक्टूबर, 1988 को सूचित किया गया, यह देखा गया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अभ्यावेदन पर शीघ्र और शीघ्र विचार नहीं किया गया था।

(बारह) सुप्रीम कोर्ट रतन सिंह के मामले (सुप्रा) और अब्दुल सलाम *के मामले* (सुप्रा) *के फैसलों पर भरोसा* करते हुए , यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि याचिकाकर्ता की निरंतर हिरासत को अस्थिर बना दिया गया है क्योंकि प्रतिवादी नंबर 2 याचिकाकर्ता द्वारा उसकी हिरासत के खिलाफ किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने में विफल रहा है।

(तेरह) मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अन्य आधारों से निपटना आवश्यक नहीं समझा

जाता है। (1992)2

(चौदह) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, याचिका की अनुमति दी जाती है और याचिकाकर्ता की निरंतर हिरासत को अवैध ठहराया जाता है और इसलिए, रद्द कर दिया जाता है। अमृतसर के सेंट्रल जेल के अधीक्षक के साथ-साथ सेंट्रल जेल, पटियाला के अधीक्षक (जैसा कि याचिकाकर्ता के वकील ने मौखिक रूप से प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता अब पटियाला जेल में बंद है) को सूचित किया जाए कि याचिकाकर्ता को तुरंत स्वतंत्रता दी जाए, जब तक कि किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत की आवश्यकता न हो।

*आर.एन.आर.*

*आर. एस. मोंगिया जे. के समक्ष*

निश्चल गुप्ता, - *याचिकाकर्ता।*

*बनाम*

केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य, उत्तरदाता।

*सिविल रिट याचिका सं.* 1991 का 10758.

8 अक्टूबर, 1991।

*भारत का संविधान,* 1950- अनुच्छेद 226- *प्रवेश- खिलाड़ियों के लिए आरक्षण- आरक्षित श्रेणी के विरुद्ध दावा-* पंजाब *इंजीनियरिंग कॉलेज, यूटी प्रशासन द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के आधार पर खेल श्रेणी जिसमें कुछ खेल विधाओं का उल्लेख किया गया है जिसमें खिलाड़ियों पर विचार किया जाना था, से संबंधित उम्मीदवारों के प्रवेश के उद्देश्य से पंजाब विश्वविद्यालय में अपनाए जा रहे पैटर्न का पालन करने के लिए - शूटिंग के खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन*

*करने वाले उम्मीदवार - शूटिंग का खेल, जिसे पिछले वर्षों में खेल श्रेणी में शामिल किया गया था, हालांकि, उपरोक्त निर्देशों से बाहर रखा गया था - उम्मीदवार इस आधार पर अपने दावे का उल्लेख करता है कि प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में खेलों में उपलब्धि को प्रवेश के उद्देश्य से माना जाना चाहिए था और इसलिए, खेल को बाहर करने से पहले तीन साल का नोटिस दिया जाना चाहिए था ताकि वह किसी अन्य खेल में बदल सके और खिलाड़ियों के लिए आरक्षित कोटा में प्रवेश ले सके - उसे प्रवेश से इनकार करना - यदि उचित हो।*

*माना गया कि* उत्तरदाताओं द्वारा यह कारण दिया गया है कि वे पंजाब विश्वविद्यालय के रूप में प्रवेश के संबंध में पैटर्न का पालन करेंगे, जिससे कॉलेज संबद्ध है, एक उचित कारण है। मुझे निशानेबाजी के खेल को खेल विधाओं से हटाने के इस कारण में कुछ भी गलत नहीं लगता है जिन पर खेल श्रेणी में प्रवेश के उद्देश्य से विचार किया जाना है। (पैरा 3)

*और* इसके अलावा *माना गया कि*, प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, तीन साल की उपलब्धियों को केवल प्रॉस्पेक्टस में उल्लिखित खेलों में ध्यान में रखा जाना है। एक बार जब यह मान लिया जाता है कि किसी विशेष खेल को वैध कारणों से बाहर रखा जा सकता है, तो किसी भी आधार पर खिलाड़ी को कोई नोटिस दिए जाने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि खिलाड़ी के पास यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि एक बार किसी खेल को शामिल करने के बाद, उसे बाहर नहीं किया जा सकता है। (पैरा 5)

*भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि मामले के पूरे रिकॉर्ड मांगे जाएं: -*

i. *परमादेश* की प्रकृति में एक रिट *जिसमें प्रतिवादियों को पंजाब के अनुदेशों अनुलग्नक* पी/9' का पालन करने और *1990 (5)-SLR 658* में रिपोर्ट किए गए इस माननीय न्यायालय *के* निर्णय का अनुपालन करने का *निर्देश दिया गया है, जारी की जाए।*

ii. *विश्वविद्यालय* द्वारा जारी सामान्य दिशा-निर्देशों *अनुलग्नक 'पी/9'* को रद्द करते हुए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक रिट जारी की *जाए।*

iii.*इंजीनियरिंग कॉलेज को इंजीनियरिंग की प्रत्येक शाखा में खिलाड़ियों*महिलाओं को 5 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद विभिन्न शाखाओं में सीटें भरने के लिए एक निर्देश भी जारी *किया जाए और विभिन्न शाखाओं को सीटों के आवंटन के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा अपनाए गए मनमाने मानदंडों को रद्द कर दिया जाए।*

iv. *एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जो यह माननीय न्यायालय तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उपयुक्त और उचित समझे, जारी किया जाए।*

v. *अनुलग्नक 'पी/1' से 'पी/13' की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करना छोड़ दिया जाए।*

vi. *प्रतिवादियों को अग्रिम नोटिस की सेवा भी समाप्त की जा सकती है।*

vii. *इस याचिका की लागत याचिकाकर्ता को दी जाए।*

और

*आगे यह प्रार्थना की जाती है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता को खेल श्रेणी में प्रवेश के लिए विचार किया जाए और इंजीनियरिंग की हर शाखा में 5 प्रतिशत सीटों को आरक्षित माना जाए।*

याचिकाकर्ता की ओर *से पी. एस. पटवालिया, एडवोकेट।*

प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता *अशोक अग्रवाल और अधिवक्ता जी एस संधावालिया।*

निर्णय

आर *एस मोंगिया, जे (मौखिक)*

1) इस रिट याचिका में, याचिकाकर्ता एक खिलाड़ी है और उसने शूटिंग के खेल में खुद को उत्कृष्ट बनाया है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ में खिलाड़ियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित हैं और याचिकाकर्ता खिलाड़ियों की आरक्षित श्रेणी में अपना दावा कर रहा है।

2) खिलाड़ियों के लिए सीटें आरक्षित करते समय, कॉलेज प्राधिकारियों ने कॉलेज का संचालन करने वाले यूटी प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर, कुछ खेल विधाओं का उल्लेख किया गया है और केवल उन्हीं खेल विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उस श्रेणी में आरक्षित सीटों पर प्रवेश देने पर विचार किया जाना है। शूटिंग के खेल को प्रतिवादी-कॉलेज द्वारा शामिल नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता की

शिकायत यह है कि जहां तक निशानेबाजी के खेल का संबंध है, उसे पिछले वर्षों के दौरान खेल श्रेणी में शामिल किया जा रहा था और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार इस साल इस खेल को बाहर करने का कोई उचित कारण नहीं है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रॉस्पेक्टस के अनुसार इसमें उल्लेख किया गया है कि पिछले तीन वर्षों में खेलों में उपलब्धियों को प्रवेश के उद्देश्य से गिना जाएगा, और ऐसा होने के नाते इस खेल को बाहर करने से पहले कम से कम तीन साल का नोटिस दिया जाना चाहिए था ताकि याचिकाकर्ता जैसे खिलाड़ी किसी अन्य खेल में बदल सकें और खिलाड़ियों के लिए आरक्षित कोटा में प्रवेश ले सकें।

3) पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध है। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया कि उन्हें उसी पैटर्न का पालन करना चाहिए जैसा कि पंजाब विश्वविद्यालय में अपने विभागों के लिए खेल श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के प्रवेश के उद्देश्य से अपनाया जा रहा है। पंजाब विश्वविद्यालय में छात्रों को पंजाब विश्वविद्यालय विभागों में खेल श्रेणी में प्रवेश देने के लिए निशानेबाजी के खेल को शामिल नहीं किया गया है, यहां यह देखा जा सकता है कि, जहां तक निशानेबाजी का सवाल है, इसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने 4 अप्रैल 1988 को आयोजित अपनी खेल समिति की बैठक में खेल कैलेंडर से हटा दिया था और बाद में पंजाब विश्वविद्यालय ने इस गेम को अपने खेल कैलेंडर

से भी हटा दिया। भारतीय विश्वविद्यालय संघ की खेल समिति द्वारा दिए गए कारण यह थे कि रेंज की उपलब्धता, टूर्नामेंट के आयोजन स्थल तक हथियारों और गोला-बारूद के परिवहन में कठिनाइयों को देखते हुए, अंतर विश्वविद्यालय शूटिंग टूर्नामेंट, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल थे, को बंद करने का निर्णय लिया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले वर्षों में, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा खेल श्रेणी में छात्रों को प्रवेश देने के लिए शूटिंग के खेल को शामिल किया गया था, लेकिन यह एक खिलाड़ी को यह पूछने का कोई अधिकार नहीं देगा कि एक बार शामिल किए गए किसी विशेष खेल को आने वाले समय तक जारी रहना चाहिए। मेरे अनुसार, उत्तरदाताओं द्वारा दिया गया कारण कि वे पंजाब विश्वविद्यालय के रूप में प्रवेश के बारे में पैटर्न का पालन करेंगे, जिससे कॉलेज संबद्ध है, एक उचित कारण है। मुझे निशानेबाजी के खेल को खेल विधाओं जिन पर खेल में प्रवेश के उद्देश्य से विचार किया जाना है, से हटाने के इस कारण में कुछ भी गलत नहीं लगता है ।

4) मुक्केबाजी का खेल, जो पहले पंजाब विश्वविद्यालय के विभागों में प्रवेश के लिए था, को सत्र 1989-90 के लिए बाहर कर दिया गया था। इसे 1990 के सीडब्ल्यूपी संख्या 9958 में इस न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसे 12 सितंबर 1989 को खारिज कर दिया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -

"इसके अलावा, अगर मुक्केबाजी के खेल को वर्तमान विवरणिका में बाहर रखा गया था, तो याचिकाकर्ता द्वारा इस आधार पर आरक्षण का दावा करने के लिए कोई शिकायत नहीं की जा सकती है क्योंकि यह दावा करना किसी का अधिकार नहीं है कि किसी विशेष गेम को प्रॉस्पेक्टस में प्रदान की गई सूची में शामिल किया जाए। खेलों की ऐसी सूची उपलब्ध कराना संबंधित विभाग का काम है।"

विद्वान न्यायाधीश द्वारा यह भी देखा गया कि मुक्केबाजी के खेल को बाहर करने के लिए वैध कारण भी दिए गए थे। जैसा कि मैंने ऊपर देखा, याचिकाकर्ता को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि एक विशेष खेल आने वाले समय के लिए जारी रहना चाहिए और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा शूटिंग के खेल को बाहर करने के लिए वैध कारण दिए गए हैं।

5) याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील में भी कोई दम नजर नहीं आता कि चूंकि खेलों की विभिन्न विधाओं में पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, इसलिए कम से कम तीन साल का नोटिस दिया जाना चाहिए था ताकि अगर कोई खिलाड़ी शिफ्ट होना चाहता है, तो वह किसी अन्य खेल में शिफ्ट हो सके। प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, तीन साल की उपलब्धियों को केवल प्रॉस्पेक्टस में उल्लिखित खेलों में ध्यान में रखा जाना चाहिए, एक बार जब यह माना जाता है कि किसी विशेष खेल को वैध कारणों से बाहर रखा जा सकता

है, तो खिलाड़ियों को किसी भी नोटिस को जारी करने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि खिलाड़ी के पास यह देखने का कोई अधिकार नहीं है कि एक बार खेल को शामिल किया जाए तो बाहर नहीं रखा जा सकता।

6) पूर्वगामी कारणों से मुझे इस रिट याचिका में कोई दम नजर नहीं आता, जिसे खारिज किया जाता है। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

*अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।*

*अंकिता गुप्ता*
*प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी*
*बिलासपुर यमुनानगर*

*Before Jawahor Lol Gupta J.*

KIRTI PARSHAD JATN AND OTHERS:--

PetTiorem

*बनाम*

हरियाणा राज्य और अन्य।- *जारोव डेंट्स*

*सिविल रिट याचिका No_* 734. एनएफ 1901

1 अनरिक 1991

*हरियाणा नगरपालिका एसएम।* 1973-7 13- *इस्तीफे की वापसी - नगरपालिका आयोग ^ एस ^ 0 ^ पर, इस्तीफा प्रस्तुत करना - उपायुक्त ने उसी दिन इसे स्वीकार कर लिया -* एस 13 को *इस्तीफा देने की आवश्यकता थी।*